

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

पता-किशोरपुरा कोटा-09 (राज0), ईमेल:-ccffdp.kota@gmail.com दूरभाष:- 0744-2500194

क्रमांक:एफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2021/ 1939

दिनांक : 29-04-2021

निमित्त,

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए
राजस्थान जयपुर।

विषय: Proposal for seeking prior approval of the Central Government under Forest (Conservation) Act, 1980 for non-forestry use of Forest land for diversion of 700.347 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, WR Division, Kota for Navnera Barrage across River Kalisindh Near Village Abra Tehsil Digod District, Kota (Rajasthan) under Eastern Rajasthan. (Online Proposal No. FP/RJ/IRRIG/35905/2018)

संदर्भ : आपका ऑनलाईन ई0डी0एस0 दिनांक 15.04.2021 के क्रम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित ऑनलाईन ई0डी0एस0 दिनांक 15.04.2021 के से चाही गयी सूचना के क्रम में उप वन संरक्षक कोटा ने पत्रांक एफ () तक/उवसं/कोटा/2021/3061 दिनांक 27.04.2021 एवं बारां ने पत्रांक एफ () एफ.सी.ए./उवसं/2020-21/3915 दिनांक 28.04.2021 से जवाब प्रस्तुत किया है, जो कि निम्नानुसार है-

क्र.सं.	EDS	जवाब
1	Please give the table for the land identified for CA	उप वन संरक्षक कोटा एवं बारां द्वारा सी0ए0 के लिए आवंटित भूमि के खसरो की सारणी कार्यालय में प्रस्तुत की है, जो संलग्न प्रेषित है।
2	It is expected to upload and attached revised CA Plan.	उप वन संरक्षक कोटा ने पत्रांक द्वारा अवगत कराया है कि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित एवं आवंटित भूमि में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है साथ ही संशोधित सी0ए0 स्कीम कार्यालय में प्रस्तुत की है, जो संलग्न प्रेषित है। उप वन संरक्षक बारां ने पत्रांक द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना वर्तमान दर 225/- की दर से तैयार कर ऑनलाईन अपलोड कर हार्ड कॉपी कार्यालय में प्रस्तुत की है, जो संलग्न प्रेषित है।
3	Please explain the note made by Dcf Kota on CAT Plan	उप वन संरक्षक, कोटा ने पत्रांक से अवगत कराया है कि केट प्लान यूजर ऐजेन्सी द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसका निरीक्षण एवं विवेचना इस कार्यालय द्वारा की गयी है। वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत MOEF (FC Division) letter no. F.No. 8-227/87-FC Dated 18 th June 2004 में उल्लेखित सभी प्रावधान केट प्लान में सम्मिलित करते हुए केट प्लान बनाया गया है। जिसका अनुमोदन राज्य सरकार के पत्रांक F 1() CEWR/SE(W) Navnera/CAT Plan/2021/152 Dated 28.01.2021 द्वारा कर दिया गया है।

उप वन संरक्षक कोटा एवं बारां द्वारा केट प्लान के संबंध में टिप्पणी अनुशंसा सहित भिजवाई गयी है। जिसमें बताया गया है कि केट प्लान वन संरक्षण अधिनियम-1980 के चेप्टर 9 में वर्णित समस्त प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए केट प्लान बनाया गया है एवं यूजर ऐजेन्सी द्वारा राज्य सरकार के पत्रांक F 1() CEWR/SE(W) Navnera/CAT Plan/2021/152 Dated 28.01.2021 से अनुमोदन करवा प्रस्तुत किया गया है। अतः प्राप्त रिपोर्ट कार्यालय की सहमति/अनुशंसा सहित अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(मनोज माराशर)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा

क्रमांक: एफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2021/ 1940-42

दिनांक : 29-04-2021

1. प्रतिलिपि उप वन संरक्षक, कोटा/बारां को उनके उक्त पत्रों के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. प्रतिलिपि अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन नवनेरा परियोजना खण्ड प्रथम कोटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

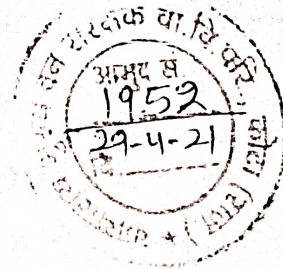
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

प्रेषित
CA

6/09/21



राजस्थान सरकार
वन विभाग



151

॥ कार्यालय उप वन संरक्षक, कोटा ॥

(Nayapura, Civil Lines Raj Bhawan Road Kota Email ID-def.kota.forest@rajasthan.gov.in)

दूरभाष नं०-0744-2322747

क्रमांक: एफ () तक./उवसं/2021/ 3061

दिनांक: 27.04.21

निमित्त:-

श्रीमान संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा।

विषय :-Proposal for seeking prior approval of the central Government under forest (Conservation Act, 1980 for non forestry use forest land for diversion of 700.347 Ha. Of forest land in favour of executive, WR Division Kota for Navnera Barrage across River Kalisindh Near Village Abra Tehsil Digod District, Kota (Rajasthan) under eastern Rajasthan (Online proposal No FP/RJ/IRRIG/35905/2018). -Reg.

प्रसंग :-श्रीमान का कार्यालय पत्रांक एफ 13(वन संरक्षण)समुवसं/2021/1856-57 दिनांक 20.04.2021 महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवदेन है कि, संदर्भित ऑन लाईन EDS दिनांक 15.04.2021 द्वारा चाही गई सूचना निम्नानुसार है :-

S.No.	Observation	Reply
1	Please give the table for the land identified for CA.	CA के लिए आवंटित भूमि के खसरो की सारणी संलग्न है।
2	It is expected to upload in attach revised CA plan.	Revised CA स्कीम संलग्न है। वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित एवं आवंटित भूमि में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया।
3	Please explain the note made by DCF Kota on CAT plan.	CAT plan यूजर एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसका निरीक्षण एवं विवेचना इस कार्यालय द्वारा की गयी है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत Government of India Ministry of Environment & Forests (FC Division) letter No. F.No.8-227/87-FC Dated 18th June 2004 में उल्लेखित सभी प्रावधान CAT plan में सम्मिलित करते हुये CAT plan बनाया गया है। जिसका अनुमोदन राज्य सरकार का पत्रांक NO. F1()/CEWR/SE(W)Navnera/CAT Plan/2021/152 date 28.01.2021 द्वारा कर दिया गया है। इस कार्यालय की विस्तृत टिप्पणी संलग्न है। अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

भयदीय
उप वन संरक्षक,
कोटा

क्रमांक: एफ () तक./उवसं/2021/

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत/प्रेषित है।

- 1 श्रीमान् अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन नवनेरा परियोजना खण्ड प्रथम कोटा।
- 2 श्रीमान् उप वन संरक्षक बारां, वन विभाग बारां।

हं-
उप वन संरक्षक,
कोटा

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-def.brn.forest@rajasthan.gov.in , Tel.No.. 07453-230244

क्रमांक 0 एफ () / एफ.सी.ए. / उ.व.स. / 2020-21 3915

दिनांक 28-4-21

निमित्त संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय :- Proposal for seeking prior approval of the central Government under forest (Conservation Act, 1980 for non forestry use forest land for diversion of 700.347 Ha. Of forest land in favour of executive, WR Division Kota for Navnera Barrage across River Kalisindh Near Village Abra Tehsil Digod District, Kota (Rajasthan) under eastern Rajasthan (Online proposal No FP/RJ/IRRIG/35905/2018). -Reg.

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 1856-57 दिनांक 20.04.21 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उच्चकार्यालय द्वारा जारी Online EDS दिनांक 20.04.2021 की पूर्ति कर Online कर 4 सेट में हार्ड प्रति में अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

S.N	EDS	DATE	20-4-21	REPLY		
1.	Please give the table for the land indentified for CA.			क्रम	तहसील	ग्राम
				1.	किशनगंज	इकलेरा सागर
				2.	शाहबाद	नचनाखेडा
						196
						197
						198
						200
						201
						209
						210
						211
				3.		
						9किता
						746.07बीघा(119.409है0)
2.	It is expected to upload and attached revised CA Plan.			क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना वर्तमान दर 225/-की दर से तैयार क		
				आनलाईन अपलोड कर हार्ड प्रति में संलग्न प्रेषित है।		
3.	Please explain the note made by Dcf Kota on CAT plan.			इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।		

(वी.चेतन कुमार)
उप वन संरक्षक
बारां

क्रमांक 0 एफ () / एफ.सी.ए. / उ.व.स. / 2021 /

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 अति:प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए) राजस्थान जयपुर।
2. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड नवनेरा परियोजना खण्ड प्रथम कोटा।

(वी.चेतन कुमार)
उप वन संरक्षक
बारां